मानवाधिकार विषय पर तीन दिवसीय
ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT) कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानवाधिकार (NHRC) आयोग के सौजन्य से राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 21-23 मार्च 2017 को मानवाधिकार विषय पर तीन दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (**ToT**) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सम्पूर्ण राजस्थान से पुलिस निरीक्षक स्तर के कुल 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जस्टिस प्रकाश टाटिया, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार, राजस्थान ने पुलिस अधिकारियों को अनुशासित रूप में कार्य करते हुए मानवाधिकारों, राजस्थान ने पुलिस अधिकारियों को अनुशासित रूप में कार्य करते हुए मानवाधिकारों के संरक्षण की बात कही। उन्होने बताया कि मानवाधिकारों की रक्षा मानव ही कर सकता है, कानून नहीं। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने स्वागत उद्बोधन देते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों से मानवाधिकार संरक्षण पर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का आह्वान करते हुए मानवाधिकार संरक्षण के विभिन्न पक्षों की विस्तृत जानकारी दी।

दूसरे सत्र में श्री गिरधारी लाल शर्मा, सेवानिवृत्त महानिरीक्षक पुलिस ने मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों तथा संस्थाओं की जानकारी दी। उन्होने राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों तथा उनकी पुलिस से अपेक्षाओं के संबंध में भी अपने विचार रखे। प्रथम दिन के अन्तिम सत्र में श्री बी.एल. सोनी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ ने पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित मुद्दों का ध्यान रखने तथा अपनी कार्यशैली में मानवाधिकार संरक्षण की मूल भावना के साथ कार्य करने के संबंध में जानकारी दी।

दूसरे दिन के प्रथम सत्र में श्री आर.के. सक्सेना, रिटायर्ड आईजीपी (जेल सेवा) ने जेल मेन्युअल की जानकारी देते हुए बन्दियों के अधिकारों तथा उनकी वर्तमान स्थिति के बारे जानकारी दी। दूसरे सत्र में श्रीमती लाड कुमारी जैन, भूतपूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, राजस्थान ने महिलाओं की घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा महिला अत्याचारों के संबंध में विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी। तीसरे सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने बच्चों के अधिकारों एवं इनके संरक्षण के संबंध में पुलिस की भूमिका के संबंध में जानकारी दी। इस क्रम में उन्होने महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कानूनों यथा पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कानूनी प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। दूसरे दिन के अन्तिम सत्र में श्री एम. एम. अत्रे रिटायर्ड आईजीपी ने पुलिस हिरासत, गिफ्तारी के सामान्य प्रावधानों के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा जारी गाइड लाईन के बारे में जानकारी दी साथ ही उन्होने

गिरफ्तारी तथा कस्टडी के दौरान एक पुलिस अधिकारी के दायित्वों तथा इनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।

कार्यशाला के अन्तिम दिन के प्रथम सत्र में श्री एम.के. देवराजन, पूर्व डीजीपी एवं पूर्व सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस को मानवाधिकार के संदर्भ में जनता की पुलिस से अपेक्षाओं एवं पुलिस कार्य प्रणाली में मानवाधिकार संरक्षण की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दूसरे सत्र में श्री आनन्द वद्धन शुक्ला रिटायर्ड आईजीपी ने अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में मानवाधिकार संरक्षण की अवधारणा को स्पष्ट किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही कार्यप्रणाली को भारत में लागू करने पर जोर दिया। उन्होने मानवाधिकार के संबंध में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। तीसरे सत्र में श्री पी.एल. मीमरोठ, अधिवक्ता तथा अध्यक्ष सेन्टर फॉर दलित राईट्स ने समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक स्थिति तथा उनके मानवाधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस को इन वर्गों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने का आवह्‌न किया। कार्यशाला के समापन समारोह में श्री एन.के. जैन, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं पूर्व अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकार की कार्यशालाओं को बदलते समय की प्रमुख आवश्कता बताया। उन्होने पुलिस अधिकारियों से मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में अधीनस्थों तथा साथियों को शिक्षित करने की अवश्यकता के बारे में जानकारी दी। श्री जनै ने मानवाधिकार संरक्षण को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए पुलिस अधिकारियों को तद्‌नुरूप कार्य करने की अपील की।